भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

:Phone 2661263, Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E_mail:bsgmadhypradesh@gmail.com

2663 /रा0मु0/गति./2015–16 भोपाल, दिनाक 17/06/2015

1 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय ....(म0प्र0) ।

2 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड)
जिला ....(म0प्र0) ।

विषय : **राष्ट्रपति अवार्ड हेतु स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर पंजीयन हेतु आवश्यक निर्देश ।**

सन्दर्भ : राष्ट्रीय मुख्या0 नई दिल्ली का पत्र क्रमांक **/89/2015** दिनांक 16/6/2015

–––000–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्रानुसार राष्ट्रपति अवार्ड हेतु स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर के पंजीकरण के ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 के अनुसार राज्य पुरस्कार/निपुण उत्तीर्ण स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर के पंजीकरण फार्म उच्च कार्यालय को अग्रेषण के पूर्व निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुये अग्रेषण करें ।

अ– सामान्य **निर्देश** :–

1. राष्ट्रपति पुरस्कार परीक्षण शिविर के लिये पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया गया है । सभी आवेदनों/पंजीकरण आवेदन फार्म और इस सूची में उल्लेख के साथ सूचना शीट में से प्रत्येक के ही यानी 02 सेट निर्धारित प्रपत्रों में ओर 3 प्रतियों में स्वीकार किया जावेगा–
   1. सीरियल नम्बर, 2. आवेदन फार्म संख्या, 3. नाम, 4, पिता का नाम, जन्मतिथि, 5, राज्य पुरस्कार/निपुण का प्रमाण पत्र क्र0 6, दिनांक 7. यूनिट का नाम 8. जिला
2. पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र राष्ट्रीय मुख्यालय के बेब साईड www.bsgindia.org डाऊनलोड किया जा सकता है ।
3. भविष्य में राष्ट्रपति पुरस्कार जांच शिविर क्षेत्रीय मुख्यालय पश्चिम क्षेत्र द्वारा सुसज्जित प्रशिक्षण केन्द्रों में खुले वातावरण में टेन्ट में आयोजित किया जावेगा ।
4. यूनिट के लिये पंजीकरण/चार्टर संख्या एवं नवीनीकरण दिनांक का होना आवश्यक है ।
5. यूनिट लीडर प्रशिक्षित एवं वैद्य वारंट होना आवश्यक है ।
6. यूनिट लीडर दल के सदस्यों में 25 प्रतिशत से अधिक को पुरस्कार के लिये भाग ले सकता है ।
7. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र– आवेदक जिस संस्था में अध्ययनरत है उस संस्था के संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जावेगा एवं किसी बोर्ड के अंक सूची की फोटोप्रति जिसमें आवेदक का जन्मतिथि अंकित हो संलग्न करें संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित ।
8. स्काउट–गाइड के प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार के पूरा होने की तिथियॉ एवं रोवर–रेंजर के लिये प्रवेश, प्रवीण, निपुण के पूरा होने की तिथियॉ ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 के अनुसार एडवांसमेन्ट की तिथियॉ हों । जांच के दौरान परीक्षक द्वारा जांच पत्रक मांगे जाने पर यूनिट द्वारा प्रवेश के समय तैयार जांच पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. राज्य पुरस्कार/निपुण के पूरा होने के तिथि राज्य पुरस्कार/निपुन के उत्तीर्ण की तिथि जिस पर यानी राज्य द्वारा किये गये जांच शिविर के अंतिम दिन होगा ।

10 तृतीय सोपान/प्रवीण जांच शिविर में का आयोजन जिला/संभाग स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिये ।

11. राज्य पुरस्कार/निपुण जांच शिविर का आयोजन राज्य स्तर किया जावेगा एवं सफल स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर राज्य पुरस्कार/निपुण प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया जाना चाहिये । प्राप्त प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति पंजीयन फार्म के साथ संलग्न करें ।

12. राष्ट्रपति पुरस्कार जांच शिविर के समय तृतीय सोपान/प्रवीण, राज्यपुरस्कार/निपुण का भी जांच लिया जावेगा ।

रोवर्स/रेंजर्स वर्ल्ड अफेयर्स विषय पर अलग विषय का चयन करें और क्रू/टीम की मीटिंग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

दक्षता बैज और सामुदायिक विकास योजना :–

1 दक्षता बैज चरण के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, जिसके दौरान अगले उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिये स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर काम करते हैं । सभी दक्षता बैज जिला बैज समिति जिला संध द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बैज परीक्षक द्वारा जांच किया ओर विवरण सूचना पत्रक में दिया जाना आवश्यक है । यूनिट लीडर एक दल के स्वतंत्र परीक्षक के लिये पात्र नहीं होगें । सूचना शीट पूरी की ओर पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र के साथ दो प्रतियों में संलग्न किया जाना चाहिये । स्वतंत्र परीक्षक के प्रमाण–पत्र संबंधित जिला कमिश्नर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और जांच शिविर में प्रस्तुत करना चाहिये ।

2. राज्य पुरस्कार स्तर की दक्षता बैज केवल तृतीय सोपान योग्यता के बाद पूरा किया जा है

3. राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये आवश्यकताओं–एम्बुलेंस बैज, सेवा परियोजना, सामुदायिक विकास योजना, बैज परीक्षकों/शिक्षण खेलों राज्य पुरस्कार उर्त्तीण होने के बाद पूरा किया जाना आवश्यक है ।

4. सी0डी0प्रोजेक्ट ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 के अनुसार कम से कम छः माह की अवधि में पूरा किया जाना है ।

निम्न कारणों से पंजीयन फार्म अमान्य कर दिया जावेगा–

दीक्षा संस्कार की तिथि पंजीकरण फार्म एवं इन्फरमेशनशीट में अन्तर होने पर ।

2 पंजीकरण फार्म में राज्य पुरस्कार पूर्ण करने की तिथि एवं राज्य पुरस्कार प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न नहीं होने पर ।

पंजीकरण फार्म भेजने की अंतिम तिथि :– 30 जून 2015 तक

ई– विशेष टीप :–

1 ए0पी0आर0ओ0भाग–2/3 में शामिल नये संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता के पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है । यदि पंजीयन कराया गया है तो नम्बर अंकित करें या पंजीयन नहीं है तो नम्बर की कालम खाली छोड़ दे ।

2 राष्ट्रपति पुरस्कार जांच शिविर के लिये दिशानिर्देश राज्य मुख्यालय को प्राप्त होने पर भेजा जावेगा ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 19-06/2015

क्र./2664/रा0मु0/गति./2015–16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....(म0प्र0) ।
2 संभा0उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास ....(म0प्र0) ।
3 लेखा/स्थापना/कार्यालय अधीक्षक राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4 जिला सचिव/संगठक/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड)/प्रशिक्षकगण मध्यप्रदेश ।
5 वार्डन राज्य/संभागीय/जिला प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

E:\Activity_Gatividi\National program Letter.docx/sahu-56